

उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग-1
संख्या- /XXXVI-A-1/2023-184/2001 T.C.-IV
देहरादून: दिनांक: 12 अप्रैल, 2023

सक हाप्ति सबदा

अधिसूचना / नियुक्त

दिनांक

श्री राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या 39, सन 1987) की धारा-6 की उपधारा (3) सपठित उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 के नियम 6(7) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से श्री अनुज कुमार संगल, निबन्धक (सतर्कता), मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय को वर्तमान पद के कर्तव्यों के निर्वहन के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सदस्य सचिव के पद पर नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(नरेन्द्र दत्त)
सचिव

संख्या- (1)/XXXVI-A-1/2023-184/2001 T.C.-IV तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आर0के0 श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या- 137 (2)/XXXVI-A-1/2023-184/2001 T.C.-IV तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कौलागढ रोड, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
4. श्री अनुज कुमार संगल, निबन्धक (सतर्कता), मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
6. अपर मुख्य सचिव, वित्त/गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
10. कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 श्रीवास्तव)
अपर सचिव